बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887

(1887 का अधिनियम संख्यांक 12)[1]

[11 मार्च, 1887]

बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रान्त और आसाम में सिविल न्यायालयों से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रान्त और आसाम में सिविल न्यायालयों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना समीचीन है ; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बंगाल, [2][आगरा] और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 है ।

(2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों पर है, [3][जो 11 मार्च, 1887 को] क्रमश: बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आसाम के मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित थे, सिवाय उन राज्यक्षेत्रों के ऐसे भागों के, जो उच्च न्यायालयों की मामूली सिविल अधिकारिता के अधीन तत्समय नहीं हैं [4]*** ; और

(3) यह सन् 1887 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. [निरसन ।] [5]***

(2) [5]*** बंगाल सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1871 (1871 का 6)[6], या उसके द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों के अधीन गठित सभी न्यायालय, की गई नियुक्तियां, किए गए नामनिर्देशन, बनाए गए नियम और आदेश, प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियां, तथा प्रकाशित सूचियां, जिनका अभिव्यक्तत: या विवक्षित रूप में इस प्रकार गठन किया जाना, किया जाना, बनाया जाना, प्रदत्त और प्रकाशित किया जाना तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन क्रमश: गठित की गई, की गई, बनाए गए, प्रदत्त और प्रकाशित समझी जाएंगी ; और

(3) बंगाल सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1871 (1871 का 6)[6], के प्रति, अथवा उसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के प्रति, निर्देश करने वाली किसी अधिनियमिति या दस्तावेज का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम या उसके तत्स्थानी किसी भाग के प्रति निर्देश है ।

---

[1] यह अधिनियम शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया है, अर्थात् :—हजारीबाग, रांची, पालामऊ और मानभूम जिलों और परगना डालभूम चैबासा नगरपालिका, और छोटा नागपुर प्रभाग के सिंहभूम जिले में पैराहट ऐस्टेट । इसे आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में भी प्रवृत्त घोषित किया गया है ।
यह कतिपय प्रयोजनों के लिए संथाल परगना में प्रवृत्त है, देखिए संथाल परगना न्याय विनियम, 1893 (1893 का 5) ।
इस का विस्तार संभलपुर जिले पर संभलपुर सिविल न्यायालय अधिनियम, 1906 (1906 का बंगाल अधिनियम 4) द्वारा ; मद्रास प्रेसिडेंसी से उड़ीसा प्रांत और मध्य प्रांतों को अन्तरित क्षेत्रों पर; उड़ीसा विधि विनियम, 1936 (1936 का 1) की धारा 4 द्वारा ; और कोरापुट जिले और गंजम अभिकरण के कतिपय क्षेत्रों पर कोरापुट और गंजम अभिकरण विधि निरसन और विस्तार विनियम, 1951 (1951 का उड़ीसा विनियम 5) किया गया ।
इस अधिनियम का निम्नलिखित राज्यों को लागू करने में संशोधन किया गया है—
पश्चिमी बंगाल में 1935 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम 19, 1950 के अधिनियम 59, 1957 के अधिनियम 16, 1969 के अधिनियम 26, 1978 के अधिनियम 55 और 58 द्वारा ;
बिहार और उड़ीसा में 1922 के बिहार और उड़ीसा अधिनियम 4 द्वारा ;
आगरा में 1925 के यू० पी० अधिनियम 5 और 1936 के अधिनियम 4 द्वारा ;
असम में 1935 के अधिनियम 6, 1974 के अधिनियम 17 और 1979 के अधिनियम 1 द्वारा ;
बिहार में 1960 के बिहार अधिनियम 12 द्वारा और उत्तर प्रदेश में 1970 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 14 और 1976 के अधिनियम 57 द्वारा ।

[2] 1911 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा "पश्चिमोत्तर प्रान्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "तत्समय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1890 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा "और झांसी प्रभाग को छोड़कर" शब्द निरसित ।

[5] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) के आरंभ में "किन्तु" शब्द निरसित ।

[6] 1871 अधिनियम सं० 6 को इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा निरसित किया गया ।

अध्याय 2

सिविल न्यायालयों का गठन

3. न्यायालयों के वर्ग—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित वर्गों के सिविल न्यायालय होंगे, अर्थात् :—

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(2) अपर न्यायाधीश का न्यायालय ;

(3) अवर न्यायाधीश का न्यायालय ; और

(4) मुन्सिफ का न्यायालय ।

[1]**[4. जिला न्यायाधीशों, अवर न्यायाधीशों और मुन्सिफों की संख्या**—राज्य सरकार जिला न्यायाधीशों, अवर न्यायाधीशों और मुन्सिफों की संख्या में, जो इस समय नियत है, परिवर्तन कर सकेगी ।]

5. [मुन्सिफों की संख्या ।]—विकेन्द्रीकरण अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम सं० 4) की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा निरसित ।

6. जिला न्यायाधीश या अवर न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियां—(1) जब कभी जिला न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश का कोई पद उस न्यायाधीश की मृत्यु, पद-त्याग या उसके हटाए जाने के कारण, या अन्य किसी कारण से, रिक्त हो गया है या जब कभी [2][धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जिला या अवर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है] तब, [3][यथास्थिति, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय,] [4]*** अपर जिला न्यायाधीशों या अवर न्यायाधीशों की रिक्तियां भर सकेगा या उनकी नियुक्तियां कर सकेगा ।

(2) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्य सरकार को किसी जिला न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश को, ऐसे जिला न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश के रूप में उस पर न्यागत होने वाले कृत्यों के अतिरिक्त, यथास्थिति, किसी अन्य जिला न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, नियुक्त करने से निवारित करती है ।

7. [मुन्सिफों में रिक्तियां ।]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

8. अपर न्यायाधीश—(1) जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित कामकाज को देखते हुए उसके शीघ्र निपटारे के लिए अपर न्यायाधीशों की सहायता अपेक्षित हो तब, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से [5][परामर्श करके], [6]*** उतने न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगी जितने अपेक्षित हों ।

(2) इस प्रकार नियुक्त अपर न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के ऐसे किसी भी कृत्य का निर्वहन करेंगे जो जिला न्यायाधीश उन्हें सौंपे और उन कृत्यों के निर्वहन में वे जिला न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

9. न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण—उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन जिला न्यायाधीश का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा ।

10. जिला न्यायालय का अस्थायी भारसाधन—(1) जिला न्यायाधीश की मृत्यु, पद-त्याग या उसके हटाए जाने, या उसके कर्तव्यों का पालन करने में बीमारी के कारण अथवा अन्यथा असमर्थ हो जाने, या जिस स्थान पर उसका न्यायालय लगता है वहां उसके अनुपस्थित रहने की दशा में अपर न्यायाधीश, अथवा यदि उस स्थान पर अपर न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वहां उपस्थित ज्येष्ठ अवर न्यायाधीश, अपने मामूली कर्तव्यों का त्याग किए बिना, जिला न्यायाधीश के पद का भार ग्रहण कर लेगा और तब तक उसका भारसाधक बना रहेगा जब तक कि जिला न्यायाधीश उस पद का भार पुन: ग्रहण न कर ले या उस पद पर नियुक्त कोई अन्य अधिकारी वह पदभार न संभाल ले ।

(2) जिला न्यायाधीश के पद का भारसाधन करते हुए, यथास्थिति, अपर न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए, जिला न्यायाधीश की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा ।

11. अवर न्यायाधीश के पद की रिक्ति पर कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) किसी अवर न्यायाधीश की मृत्यु, पद-त्याग या उसके हटाए जाने, या उसके कर्तव्यों का पालन करने में बीमारी के कारण या अन्यथा असमर्थ हो जाने, या जिस स्थान पर उसका न्यायालय लगता है वहां उसके अनुपस्थित रहने की दशा में जिला न्यायाधीश, अवर न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित सभी या कोई

[1] डिवोल्यूशन ऐक्ट, 1920 (1920 का 38) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1920 के अधिनिय सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल ने जिला न्यायाधीशों या अधीनस्थ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय शासन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "यथास्थिति" शब्द निरसित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "की सिफारिश पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1911 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा "और सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्द निरसित ।

भी कार्यवाहियां या तो अपने न्यायालय को या अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जो उसका निपटारा करने में सक्षम हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तरित कार्यवाहियों का निपटारा वैसे ही किया जाएगा मानो वे उस न्यायालय में संस्थित की गई हों जिसमें वे इस प्रकार अन्तरित की गई हैं ।

(3) परन्तु जिला न्यायाधीश, उपधारा (1) के अधीन अपने न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को अन्तरित कोई भी कार्यवाहियां अवर न्यायाधीश के या उसके उत्तराधिकारी के न्यायालय को पुन: अन्तरित कर सकेगा ।

(4) उन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी घटना पर अवर न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित नहीं हैं और जिनकी बाबत उस न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, जिला न्यायाधीश उस न्यायालय की सभी या किसी भी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा ।

12. [मुन्सिफ के पद का अस्थायी कार्यभार ।]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसन ।

13. न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं नियत करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी भी सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं नियत कर सकेगी और उनमें परिवर्तन कर सकेगी ।

(2) यदि एक ही स्थानीय अधिकारिता दो या अधिक अवर न्यायाधीशों या दो या अधिक मुन्सिफों को सौंपी जाती है तो जिला न्यायाधीश उनमें से प्रत्येक को, यथास्थिति, अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ द्वारा संज्ञेय ऐसा सिविल कामकाज सौंप सकेगा, जिसे उच्च न्यायालय के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, वह ठीक समझे ।

(3) जब किसी स्थानीय क्षेत्र में उद्‌भूत होने वाला कोई सिविल कामकाज उपधारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा दो या अधिक अवर न्यायाधीशों में से किसी एक को या दो या अधिक मुन्सिफों में से एक को सौंपा जाता है तब उस अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ द्वारा पारित डिक्री या आदेश केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि वह मामला, जिसमें वह डिक्री या आदेश पारित किया गया था, पूर्णत: या अंशत: ऐसे स्थान पर उद्‌भूत हुआ था जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की गई स्थानीय सीमा के बाहर था ।

(4) लघुवाद न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसे अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, इस धारा के अर्थ में, यथास्थिति, अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ है ।

(5) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक सिविल न्यायालय की अधिकारिता की वर्तमान स्थानीय सीमाएं इस धारा के अधीन नियत की गई समझी जाएंगी ।

14. न्यायालयों के लगने का स्थान—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा स्थान या ऐसे स्थान नियत कर सकेगी, या उनमें परिवर्तन कर सकेगी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई सिविल न्यायालय लगेगा ।

(2) वे सभी स्थान, जहां ऐसे कोई न्यायालय इस समय लग रहे हैं, इस धारा के अधीन नियत स्थान समझे जाएंगे ।

15. न्यायालयों के दीर्घावकाश—(1) [1]*** [2][*** राज्य सरकार [3]*** द्वारा] किए जाने वाले आदेशों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय उन दिनों की सूची तैयार करेगा जो सिविल न्यायालयों में प्रति वर्ष बन्द अवकाश-दिनों के रूप में मनाए जाएंगे ।

(2) यह सूची राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(3) उस सूची में विनिर्दिष्ट दिन को सिविल न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी न्यायिक कार्य केवल इसीलिए अविधिमान्य नहीं होगा कि वह उस दिन किया गया था ।

16. न्यायालयों की मुद्रा—इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक सिविल न्यायालय ऐसी आकृति और ऐसी परिमाण की मुद्रा का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

17. जिन न्यायालयों की अधिकारिता समाप्त हो गई है, उनकी कार्यवाही का जारी रखा जाना—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन आने वाले किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता किसी भी कारण से किसी मामले की बाबत समाप्त हो गई है वहां उस मामले के संबंध में कोई भी कार्यवाही, जो यदि उस न्यायालय की अधिकारिता समाप्त न हुई होती तो, वहां हुए होती, उस न्यायालय में की जा सकेगी जिसे पूर्ववर्ती न्यायालय का कामकाज अन्तरित कर दिया गया है ।

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय की दशा में सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा और" शब्द निरसित ।

[2] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के मामले में और अन्य मामलों में स्थानीय सरकार द्वारा" शब्द अंत:स्थापित किए गए थे ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "अन्य मामलों में" शब्द निरसित ।

(2) इस धारा की कोई भी बात ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी जिनके लिए कोड आफ सिविल प्रोसीजर (1882 का 14)[1] की धारा 623 या धारा 649 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में उपबंध किया गया है ।

अध्याय 3

मामूली अधिकारिता

18. जिला या अवर न्यायाधीश की आरम्भिक अधिकारिता का विस्तार—तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जिला न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश की अधिकारिता का विस्तार, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1882 (1882 का 14)[2] की धारा 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन सभी आरम्भिक वादों पर होगा जो तत्समय सिविल न्यायालयों द्वारा संज्ञेय हैं ।

[3]**19. मुन्सिफ की अधिकारिता का विस्तार**—(1) यथापूर्वोक्त के सिवाय, और उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुन्सिफ की अधिकारिता का विस्तार उसी प्रकार के ऐसे सभी वादों पर होगा जिनका मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सिफारिश से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें नामित किसी मुन्सिफ की बाबत यह निर्देश दे सकेगा कि उसकी अधिकारिता का विस्तार दो हजार रुपए से अनधिक उतने मूल्य के उसी प्रकार के सभी वादों पर होगा जितना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

[4][परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।]

20. जिला न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों से अपीलें—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश की किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी ।

(2) किसी अपर न्यायाधीश की किसी ऐसे मामले में किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील न हो सकेगी, यदि वह डिक्री या आदेश जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया होता तो उच्च न्यायालय में अपील नहीं हो सकती थी ।

21. अवर न्यायाधीशों और मुन्सिफों से अपीलें—(1) यथापूर्वोक्त के सिवाय, अवर न्यायाधीश की किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील—

(क) जहां आरम्भ के वाद का, जिसमें, या जिससे उद्‌भूत होने वाली किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश किया गया था, मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक न हो वहां, जिला न्यायाधीश को हो सकेगी, और

(ख) किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय में हो सकेगी ।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय, मुन्सिफ की डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील जिला न्यायाधीश को हो सकेगी ।

(3) जहां ऐसी अपीलें, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश को हो सकती हैं, ग्रहण करने का कार्य अपर न्यायाधीश को सौंपा गया है वहां अपीलें अपर न्यायाधीश को की जा सकेंगी ।

(4) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी मुन्सिफ की सभी या किन्हीं भी डिक्रियों या आदेशों के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश को हो सकने वाली अपीलें ऐसे अवर न्यायाधीश के न्यायालय में की जा सकेंगी जो अधिसूचना में वर्णित किया जाए और तब अपीलें तद्‌नुसार की जा सकेंगी ।

---

[1] बंगाल और असम में, "कोड आफ सिविल प्रोसीजर की धारा 623 या धारा 649 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमश: "1935 के बंगाल अधिनियम सं० 19 और 1935 के असम अधिनियम सं० 6 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 36, धारा 37 और धारा 114 और अनुसूची 1 के आदेश 47 के नियम 1 में" शब्द और अंक रखे गए हैं । पुरानी अधिनियमिति के प्रति निर्देश से आगरा, बिहार और उड़ीसा में भी उसी प्रकार से अर्थ लगाया जाना चाहिए ; देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5) की धारा 158 ।

[2] बंगाल और असम में क्रमश: 1935 के बंगाल अधिनियम सं० 19 और 1935 के असम अधिनियम सं० 6 द्वारा "1908" अंक इस स्थान पर अंत: स्थापित किए गए हैं । पुरानी अधिनियमिति के प्रति निर्देश से आगरा, बिहार और उड़ीसा में भी उसी प्रकार से अर्थ लगाया जाना चाहिए ; देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5) की धारा 158 ।

[3] धारा 19 संयुक्त प्रान्त में अवैतनिक मुन्सिफों और न्यायपीठों को लागू नहीं होती है: देखिए यू०पी० आनरेरी मुन्सिफ्स ऐक्ट, 1896 (1896 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 2) की धारा 13 । यह धारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, आगरा और असम में क्रमश: 1935 के बंगाल अधिनियम सं० 19 की धारा 5, 1922 के बिहार और उड़ीसा अधिनियम सं० 4 की धारा 2, 1925 के संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 5 की धारा 2 और धारा 3 और 1935 के असम अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में संशोधित की गई है ।

[4] 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।

अध्याय 4

विशेष अधिकारिता

22. मुन्सिफ से अपीलें अवर न्यायाधीशों को अन्तरण करने की शक्ति—(1) जिला न्यायाधीश मुन्सिफों की डिक्रियों या आदेशों के विरुद्ध ऐसी अपीलों को, जो उसके समक्ष लम्बित हों, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी अवर न्यायाधीश को अन्तरण कर सकेगा ।

(2) जिला न्यायाधीश इस प्रकार अन्तरित किसी अपील का प्रत्याहरण कर सकेगा और या तो उसकी स्वयं सुनवाई करके उसका निपटारा कर सकेगा या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरण कर सकेगा जो उसका निपटारा करने के लिए सक्षम हो ।

(3) इस धारा के अधीन अंतरित अपीलों का निपटारा उन्हीं नियमों के अधीन किया जाएगा जो जिला न्यायाधीश द्वारा उसी प्रकार की अपीलों को निपटाने के लिए लागू किए जाते हैं ।

[1]**23. कतिपय कार्यवाहियों में अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ द्वारा जिला न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग**—(1) उच्च न्यायालय, इसमें इसके ठीक पश्चात्‌वर्णित कार्यवाहियों में से किसी का या आदेश में विनिर्दिष्ट उन कार्यवाहियों के किसी वर्ग का संज्ञान करने के लिए किसी अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ को या उन कार्यवाहियों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ को अन्तरण करने के लिए किसी जिला न्यायाधीश को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) 1799 के बंगाल रेगुलेशन सं० 5 के अधीन कार्यवाहियां (निर्वसीयत मरने वाले व्यक्तियों की विल के निष्पादन में और उनकी सम्पदा के प्रशासन में दीवानी अदालत के जिला और नगर न्यायालयों का हस्तक्षेप सीमित करने के लिए) ;

[2]* * * * *

[3]* * * * *

(घ) इंडियन सक्सेशन ऐक्ट, 1865 (1865 का 10)[4] तथा प्रोबेट ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1881 (1881 का 5) के अधीन कार्यवाहियां, जिनका निपटारा जिला प्रतिनिधि नहीं कर सकते ; और

(ङ) कोड आफ सिविल प्रोसीजर (1882 का 14)[5] की धारा 322ग के अधीन कलक्टरों द्वारा निर्देश ।

(3) जिला न्यायाधीश किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को, जिनका किसी अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ ने संज्ञान किया है या जो अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ को अन्तरित की गई है, प्रत्याहृत कर सकेगा और या तो उन्हें स्वयं निपटा सकेगा या उन्हें अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरण कर सकेगा जो उनका निपटारा करने में सक्षम हो ।

[6]**24. अन्तिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट कार्यवाहियों का निपटारा**—(1) ऐसी कार्यवाहियां, जिनका अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन, यथास्थिति, किसी अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ द्वारा संज्ञान किया गया है या जो उसे अन्तरित की गई हैं, उसके द्वारा उन नियमों के अधीन रहते हुए निपटाई जाएंगी जो उसी प्रकार की कार्यवाहियों को, जब वे जिला न्यायाधीश द्वारा निपटाई जाएं तब, लागू होते हों :

परन्तु ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में मुन्सिफ के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील जिला न्यायाधीश को हो सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन मुन्सिफ के आदेश के विरुद्ध की गई अपील पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील उस दशा में उच्च न्यायालय में हो सकेगी जब जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध आगे कोई अपील तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अनुज्ञात हो ।

[6]**25. अवर न्यायाधीशों और मुन्सिफों में लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता विनिहित करने की शक्ति**—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिन्हें वह ठीक समझे, किसी अवर न्यायाधीश या मुन्सिफ को प्रान्तीय

---

[1] धारा 23 संयुक्त प्रांत में अवैतनिक मुन्सिफों और न्यायपीठों को लागू नहीं होती है ; देखिए यू०पी० आनरेरी मुन्सिफ्स ऐक्ट, 1896 (1896 का संयुक्त प्रांत अधिनियम सं० 2) की धारा 13 ।

[2] 1858 के अधिनियम सं० 40 या 1861 के अधिनियम सं० 9 के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित खंड (ख) 1890 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

[3] 1860 के अधिनियम सं० 27 के अधीन प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों से संबंधित खंड (ग) 1889 के अधिनियम सं० 7 द्वारा निरसित ।

[4] अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) देखिए । बंगाल और असम में यह खंड औपचारिक रूप से क्रमश: 1935 के बंगाल अधिनियम सं० 19 और 1935 के असम अधिनियम सं० 6 द्वारा संशोधित किया गया है ।

[5] अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की अनुसूची 3 देखिए । इस खंड का बंगाल में 1935 के बंगाल अधिनियम सं० 19 द्वारा लोप किया गया है और औपचारिक रूप से असम में 1935 के असम अधिनियम सं० 6 द्वारा संशोधन किया गया ।

[6] धारा 24 और धारा 25 संयुक्त प्रान्त में अवैतनिक मुन्सिफों और न्यायपीठों को लागू नहीं होती हैं ; देखिए यू०पी० आनरेरी मुन्सिफ्स ऐक्ट, 1896 (1896 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 6) की धारा 13 ।

लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) के अधीन लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता, ऐसे न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वादों के विचारण के लिए अवर न्यायाधीश की दशा में पांच सौ रुपए[1] से अनधिक उतने मूल्य तक या मुन्सिफ की दशा में [2][दो सौ पचास रुपए] से अनधिक उतने मूल्य तक, जितना वह न्यायालय ठीक समझे, प्रदत्त कर सकेगी और इस प्रकार प्रदत्त अधिकारिता का प्रत्याहरण भी कर सकेगी :

[3][परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।]

अध्याय 5.—**[अपकरण ।]** विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

अध्याय 6.—[विभागीय अध्यक्ष ।] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

अध्याय 7

अनुपूरक उपबन्ध

36. अधिकारियों को सिविल न्यायालयों की शक्तियां प्रदान करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार,—

(क) छुटिया नागपुर, [4][संबलपुर,] जलपाइगुरी या दार्जीलिंग जिले में, या आसाम के मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग में, सिलहट जिले को छोड़कर, किसी अधिकारी को, अथवा

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को, जो उन राज्यक्षेत्रों के, जिसमें इस अधिनियम का विस्तार है, किसी अन्य भाग में सेवा कर रहा हो और जो इस निमित्त [5]*** राज्य सरकार द्वारा परिनिश्चित किसी वर्ग का हो, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, नाम से अथवा पद के आधार पर, इस अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां विनिहित कर सकेगी ।

(2) [6][धारा 4, 5, 6, 8, 10 या 11 की कोई भी बात उस अधिकारी को लागू नहीं होगी जिसमें इस प्रकार शक्तियां विनिहित की गई हैं, किन्तु इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं, उसे इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस न्यायालय का न्यायाधीश हो जिसकी शक्तियां उसमें विनिहित कर दी गई हैं ।

(3) जहां कि उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित राज्यक्षेत्रों में, एक ही स्थानीय अधिकारिता ऐसे दो या अधिक अधिकारियों को, जिनमें मुन्सिफ की शक्तियां विनिहित की गई हैं, सौंप दी जाती हैं वहां, वह अधिकारी जिसमें जिला न्यायाधीश की शक्तियां विनिहित की गई हैं, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले अपने कृत्यों को, ऐसे अधिकारी को, जिसमें अवर न्यायाधीश की शक्तियां विनिहित की गई हैं, या ऐसे अधिकारियों में से किसी एक को, जिसे मुन्सिफ की शक्तियां विनिहित की गई हैं, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(4) जहां वह स्थान, जिस पर किसी अधिकारी का, जिसमें उपधारा (1) के अधीन शक्तियां विनिहित की गई हैं, न्यायालय लगना है, धारा 14 के अधीन नियत नहीं किया गया है वहां, न्यायालय उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर लग सकता है ।

[7][**37. कुछ विनिश्चियों का देशी विधि के अनुसार होना**—(1) जहां किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी सिविल न्यायालय के लिए, उत्तराधिकार, विरासत, विवाह या जाति या किसी धार्मिक प्रथा या संस्था संबंधी किसी प्रश्न का विनिश्चय करना आवश्यक है वहां, उस मामले में जहां पक्षकार मुसलमान हैं वहां मुस्लिम विधि, और जहां पक्षकार हिन्दू हैं वहां हिन्दू विधि, नियम या विनिश्चय का आधार होगी किन्तु उसी सीमा तक जहां तक ऐसी विधि का विधायी अधिनियमिति द्वारा परिवर्तन या उत्सादन न कर दिया गया हो ।

(2) जिन मामलों में उपधारा (1) द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है उनमें न्यायालय न्याय, साम्या और सद्‌विवेक के अनुसार कार्य करेगा ।

38. न्यायाधीशों द्वारा ऐसे वादों का विचारण न किया जाना जिनमें वे हितबद्ध हों—(1) किसी सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी वाद या अन्य कार्यवाही का विचारण नहीं करेगा जिनमें वह एक पक्षकार है या जिनमें वह व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपीली सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी किसी ऐसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी अपील का विचारण नहीं करेगा जिसे उसने किसी अन्य हैसियत से पारित किया था ।

---

[1] बंगाल और असम में परिसीमाएं क्रमश: सात सौ पचास और तीन सौ हैं; देखिए 1935 का बंगाल अधिनियम सं० 19 और 1935 का असम अधिनियम सं० 6 ।

[2] 1911 के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा "एक सौ रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] दि डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऐक्ट, 1914 (1914 का 4) की धारा 2 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] संभलपुर सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1906 (1906 का बंगाल अधिनियम सं० 4) की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 के भाग 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्द निरसित किए गए थे ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "धारा 4 से धारा 8 तक (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं), या धारा 10 से धारा 12 तक (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं), या धारा 27 से धारा 35 तक (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] इस धारा के उपबंध, जहां तक वे मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 (1937 का 26) के उपबंधों से असंगत हैं, उस अधिनियम की धारा 6 द्वारा निरसित किए गए थे किन्तु 1943 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा प्रवर्तित किए गए ।

(3) जब कभी उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई वाद, कार्यवाही या अपील, ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष आती है तब वह अधिकारी उस मामले के अभिलेख, निर्देश संबंधी परिस्थितियों की रिपोर्ट सहित, किसी ऐसे न्यायालय को तत्काल पारेषित कर देगा जिसके वह सीधे अधीनस्थ है ।

(4) तत्पश्चात् वरिष्ठ न्यायालय कोड आफ सिविल प्रोसीजर 1882 (1882 का 14)[1] की धारा 25 के अधीन उस मामले का निपटारा करेगा ।

(5) इस धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय की गैर मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

39. न्यायालयों की जिला न्यायालय के प्रति अधीनस्थता—इसके ठीक पहले की धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के सीधे अधीन समझा जाएगा और कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1882 (1882 का 14)[1] के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी का न्यायालय जिला न्यायालय के न्यायाधीश से अवर श्रेणी का समझा जाएगा ।

40. अधिनियम का राज्य के लघुवाद न्यायालयों को लागू होना—(1) यह धारा और धारा 15, 32, 37, 38 और 39 प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) के अधीन गठित लघुवाद न्यायालयों को लागू होगी ।

(2) उस अधिनियम द्वारा जैसा है उसके सिवाय, इस अधिनियम की अन्य धाराएं उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगी ।

———

[1] अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 24 देखिए । बंगाल और असम में औपचारिक रूप से वह निर्देश क्रमश: 1935 के बंगाल अधिनियम सं० 19 और 1935 के असम अधिनियम सं० 6 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।